

क्रमांक 370-399

Speed-Post

दिनांक : 25/5/2011

संशोधित परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 335-356 दिनांक 19.05.2011 के क्रम में रबी 2010-11 में गेहूं, सरसों, चना व जौ आदि प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में कुछ संगठनों/कृषकों के प्राप्त ज्ञापन के परीक्षण उपरान्त एक से अधिक बीज उत्पादक संस्थाओं से लिए गये बीज उत्पादन कार्यक्रम के प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. बीज उत्पादक जिनके द्वारा प्रस्तुत जमीन के दस्तावेज किसी भी स्तर से (शिकायत/जांच) फर्जी प्रमाणित हो जाते हैं, का बीज प्रमाणीकरण न किया जावे।
2. बीज उत्पादक जिन्होंने एक ही खेत पर एक से ज्यादा बीज उत्पादक संस्थाओं से बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाना किसी भी स्तर से सत्यापित हो जाता है, का बीज प्रमाणीकरण न किया जावे।
3. बीज उत्पादकों के जमीन के दस्तावेजों की पूर्ण जांच के पश्चात नियमानुसार सही पाये जाने एवम उनके द्वारा उत्पादित बीजों का भौतिक सत्यापन उनके घर/खेत स्थित गोदाम पर कर लिया गया हो तथा सही पाया गया हो तभी बीजों का प्रमाणीकरण किया जावे।

क्र. 370-399
प्रतिलिपि :- पालनार्थ

दि- 25/5/2011

प्रमुख शासन सचिव (कृषि)

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि०, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, जयपुर।
5. प्रबंधक, तिलम संघ, कोटा।
6. प्रबंधक, कृषकों, जयपुर।
7. अध्यक्ष, राजस्थान सर्टीफाइड सीड्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन, श्रीगंगानगर।
8. समस्त रा.रा.बी.एवं.जै.उ.प्र.संस्था इकाई कार्यालय/मुख्यालय

Bmt Shashi ASCO Jaipur

प्रमुख शासन सचिव (कृषि)